रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 160] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 30, 1974/चैत्र 9, 1896
No. 160] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 30, 1974/CHAITRA 9, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATIONS

*New Delhi, the 30th March 1974*

**S.O. 223(E).**—Whereas Parliament has, by resolution, so required;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of section 478 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government after consultation with the High Court of Punjab and Haryana, hereby directs that, in respect of the Union territory of Chandigarh, references in sections 108, 109 and 110 of the said Code to a Judicial Magistrate of the first class shall be construed as references to an Executive Magistrate.

[No. U-11011/3/74-UTL-(1)]

## गृह मंत्रालय

### अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 30 मार्च 1974

का० आ० 223(अ).—यतः संसद् ने, संकल्प द्वारा, ऐसी अपेक्षा की है ।

अतः अब, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, (1974 का 2) की धारा 478 के खण्ड (क) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, निदेश देती है कि चण्डीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में उक्त संहिता की धारा 108, 109 और 110 में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निदेश का अर्थ इस प्रकार किया जाएगा कि वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है ।

[सं० यू-11011/3/74-यू० टी० एल० (i)]

**S.O. 224(E).**—Whereas Parliament has, by resolution, so required;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of section 478 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government, after consultation with the High Court of Delhi, hereby directs that, in respect of the Union territory of Delhi, references in sections 108, 109 and 110 of the said Code to a Judicial Magistrate of the first class shall be construed as references to an Executive Magistrate.

[No. U-11011/3/74-UTL-(ii).]

G. K. BHANOT, Jt. Secy.

**का० आ० 224(अ).**—अतः संसद् ने, संकल्प द्वारा, ऐसी अपेक्षा की है ;

अतः अब, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 478 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, दिल्ली के उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, निदेश देती है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में उक्त संहिता की धारा 108, 109 और 110 में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ इस प्रकार किया जाएगा कि वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है ।

[सं० यू-11011/3/74-यू० टी० एल० (ii)]

जी० के० भनोत, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974